अस्त (आज) उदय (कल)

18.42 बजे **सुप्रभात** 05.13 बजे

तिथि- द्वितीया रात्रि 07.22 पर्यंत, उपरांत तृतीया, पक्ष-कृष्ण, मास-श्रावण, विक्रम संवत-2070, शक संवत-1935. **हिजरी तारीख-** 14, दिन-बुधवार, महीना-रमजान, हिजरी वर्ष-1434. **नानकशाही दिनांक** - 09, दिन-बुधवार, महीना-श्रावण, नानकशाही वर्ष- 546.

सूर्योदयकालीन नक्षत्र

श्रवण प्रातः 05.53 पर्यंत, उपरांत शतभिषा नक्षत्र. आयुष्मान योग.

आकाशीय ग्रह स्थिति

चंद्रमा मकर राशि में विराजमान हैं, संध्या 5.17 बजे कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे.

जन्मदिन मंगलम (24 जुलाई)

इस अंक का स्वामी 'शुक्राचार्य' हैं. **शुभ व्यवसाय** : कंप्यूटर, घड़ी, संगीत, वाद्य यंत्र, अभिनय, पत्रकारिता, केमिकल्स आदि. **भाग्यशाली वर्ष** : 6, 15, 24, 33, 42, 51, 60, 69. **शुभ समय** : 20 अप्रैल से 24 मई, 21 सितंबर से 26 अक्तूबर. **शुभ दिन** : शुक्रवार, बुधवार, शनिवार. **शुभ रंग** : चमकीला सफेद, आसमानी. **व्रत** : शुक्रवार. **शुभ मंत्र** : ॐ शुं शुक्राय नमः. **व्रत-त्योहार/खास** : कोई खास नहीं.
श्रीपति त्रिपाठी : ज्योतिषाचार्य.

सड़क किनारे कूड़ा फेंका, तो देना होगा जुर्माना

निगम के लिए आसान नहीं होगी ऑन स्पॉट कार्रवाई

संवाददाता ■ पटना

अगर सड़क किनारे जहां-तहां कचरा फेंकने की आदत है, तो सावधान हो जाइये. यदि नगर निगम कर्मियों की नजर पड़ गयी तो न्यूनतम 100 रुपये जुर्माना देना होगा. नगर निगम के आयुक्त कुलदीप नारायण ने शहर की सफाई को लेकर इस संबंध में निर्देश जारी किया है. उन्होंने कार्रवाई के लिए कार्यपालक पदाधिकारी, मुख्य सफाई निरीक्षक व सफाई निरीक्षक को अधिकृत किया है. सफाई निरीक्षक व मुख्य सफाई निरीक्षक प्रतिदिन जुर्माना वसूली की राशि का हिसाब कार्यपालक पदाधिकारी को देंगे. बाद में राशि नगर निगम के खाते में जमा करा दी जायेगी.

कूड़ा फेंकने का समय

शाम साढ़े सात बजे के बाद व सुबह साढ़े नौ बजे के पहले

निगम क्षेत्र में 923 अधिकृत कूड़ा प्वाइंट हैं, लेकिन सफाई निरीक्षकों की संख्या सभी वार्डों (72) में एक-एक ही है. नगर निगम के 72 वार्डों में करीब 4.5 लाख घर हैं. इस प्रकार एक सफाई निरीक्षक पर छह हजार से अधिक घरों की मॉनीटरिंग की जिम्मेवारी होगी. ऐसे में लोगों को ऑन स्पॉट कचरा फेंकते पकड़ना आसान नहीं होगा.

नियत समय में ही डालें कूड़ा : शहर साफ रहे. इसके लिए निगम ने निर्देश जारी किया है. सुबह साढ़े नौ बजे तक और शाम में साढ़े सात बजे के बाद ही चिह्नित 923 प्वाइंटों पर ही कचरा फेंकने की इजाजत दी गयी है. सभी दुकानदार, आम लोग, रेस्तरां,होटल मालिक व फुटपाथी वेंडरों को अपने साथ डस्टबीन रखने का निर्देश दिया गया है. निगमायुक्त ने बताया कि सड़क किनारे या सार्वजनिक स्थान पर भवन का मलबा या भवन निर्माण सामग्री रखने पर भी जुर्माना लगेगा. तत्कालीन नगर निगम आयुक्त बैद्यनाथ सिंह व के सेंथिल कुमार के कार्यकाल में भवन सामग्री रखनेवालों से जुर्माना वसूला जाता था.

पॉलीथिन रोक पर चर्चा नहीं : पॉलीथिन इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए नगर निगम की ओर से अब तक कोई पहल नहीं हुई है. यह प्रस्ताव पारित हुए एक माह से अधिक हो गया है.